

07/2/25

आपका पत्र मिला - मेरा डूबे पकीम वादीय
उपनिवेश वकील वादीय जी बदायुनी जी.

लेखक लिखित प्रत्येक के विषयों में 11/1/25

आपके पत्र में आपका पत्र मिला - मेरा डूबे
हो 92 नंबर के पत्र में पत्र मिला बाद 11/1/25

आपके पत्र में 92 नंबर - हो, लिखित आपकी 15/1/25

07/2/25 में मेरे पत्र में लिखित पत्र में
आपका पत्र

उडे

सहायक न्याय मंत्री (कांट्री)
मुंबई (विकास-विजारा)

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई
(आर०ए०एस०)

वाद संख्या
671 / 2020

रजू दिनांक
29.10.2020

निर्णय दिनांक
07.02.2025

1. कृष्ण कुमार
2. मनोज कुमार पुत्रान श्री रतीराम जातियान जाट निवासी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

----- वादीगण

बनाम

2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जयें (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

----- प्रतिवादी

दावा ईशतकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णयादेश प्रस्तुत हुई। वादी ने अपना वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया कि -

1. यह है कि आराजी ख० नं० 321/0.26 हैक्०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.26 हैक्०, व ख० नं० 316/0.26, 317/0.23 हैक्०, 318/0.20 हैक्०, 319/0.95 हैक्०, 320/0.14 हैक्०, 322/0.25 हैक्०, 323/0.11 हैक्०, 324/0.11 हैक्०, 325/0.10 हैक्०, 326/0.25 हैक्०, 327/0.15 हैक्०, 329/0.15 हैक्०, कुल किता 12 कुल रकबा 2.90 हैक्०, व ख०

सहायक कलक्टर (फा०ट्र०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

नं० 526/0.09 है०, 527/0.06 है०, 528/0.38 है०, 529/0.12 है०, 636/873/0.19 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है०, व ख० नं० 331/0.77 है०, 332/0.20 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 है०, व ख० नं० 558/0.25 है०, 559/0.09 है०, 563/871/0.07 है०, 585/0.29 है०, 586/0.23 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 0.93 है०, व ख० नं० 403/0.14 है०, 404/0.21 है०, 405/0.23 है०, 406/0.19 है०, 407/0.27 है०, 408/0.06 है०, 409/0.08 है०, 410/0.16 है०, 411/0.08 है०, 412/0.06 है०, 413/0.05 है०, 415/0.06 है०, 416/0.06 है०, 417/0.12 है०, 418/0.09 है०, 419/0.04 है०, 420/0.05 है०, 530/0.14 है०, कुल किता 18 कुल रकबा 2.09 है०, व ख० नं० 637/874/0.08 है०, 837/875/0.09 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है०, व ख० नं० 774/0.32 है०, 775/0.06 है०, 776/0.10 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 0.48 है०, व ख० नं० 23/1.21 है०, 57/0.80 है०, 120/0.97 है०, 294/0.32 है०, 640/0.03 है०, 725/0.29 है०, 726/0.30 है०, 727/0.29 है०, 816/0.44 है०, 819/0.60 है०, कुल किता 10 कुल रकबा 5.25 है०, व ख० नं० 637/0.67 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 है०, व ख० नं० 635/0.25 है०, 635/872/0.58 है०, 636/0.08 है०, 638/0.37 है०, 639/0.40 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 है०, वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान मे स्थित है, जो आराजी उक्त वाद मे विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।

2. यह है कि पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का विरासत का इंतकाल स० 263 दर्ज करते समय मिन वादीगण कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज कर दिया जबकि मिन वादीगण का रिकोर्ड व सही नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है।

3. यह है कि उक्त विवादित आराजी मे मिन वादीगण कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज है, जो दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है, क्योंकि मिन वादीगण का रिकोर्ड नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है, इसलिये उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में नाम कृष्ण कुमार उर्फ मोता व मनोज कुमार उर्फ मोनू किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु दावा इशतकरारहक पेश है।

4. यह है कि मिन वादीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले है, गांव में मिन वादीगण कृष्ण कुमार को मोता व मनोज कुमार को मोनू भी कहते है, और रिकोर्ड मे मिन वादीगण का नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है, राशन कार्ड मे पढाई के दस्तावेजात मे मूलनिवास प्रमाण पत्र मे पहचान पत्र में आधार कार्ड मे नाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री रतीराम व मनोज कुमार पुत्र श्री रतीराम अंकित है, लेकिन विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड मे कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज है। जिसकी जगह कृष्ण कुमार



सहायक कलक्टर (फांट्रो)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

उर्फ मोता व मनोज कुमार उर्फ मोनू किया जाना आवश्यक है, जिस हेतू दावा पेश करना लाजिम आया है।

5. यह है कि मिन वादीगण को गांव मे घर परिवार मे कृष्ण कुमार को मोता व मनोज कुमार को मोनू के नाम से भी बुलाते है, जिस कारण सहवन से कृष्ण कुमार की जगह मोता व मनोज कुमार की जगह मोनू दर्ज हो गया जबकि असल रिकोर्ड का नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है।


6. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड मे मिन वादीगण का नाम मोता व मोनू दर्ज रहने से मिन वादीगण के अधिकारो पर कुठाराघात होता है, जिससे मिन वादीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, इसलिये मिन वादीगण हाल विवादित आराजी मे नाम दुरुस्त कराने का अधिकारी है।

7. यह है कि दिनांक 06/02/19 को प्रतिवादी से नाम दुरुस्त कराने की कही तो स्पष्ट मना कर दिया तो दिनांक 06/02/19 की तारीक बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

8. यह है कि उक्त विवादित आराजी मे मिन वादीगण कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज है, जो दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है, क्योंकि मिन वादीगण का रिकोर्ड नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है, इसलिये उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में नाम कृष्ण कुमार उर्फ मोता व मनोज कुमार उर्फ मोनू किया जाना आवश्यक है, जिस हेतू दावा इश्तकरारहक पेश है।

9. यह है कि मिन वादीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले है, गांव में मिन वादीगण कृष्ण कुमार को मोता व मनोज कुमार को मोनू भी कहते है, और रिकोर्ड मे मिन वादीगण का नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है, राशन कार्ड मे पढाई के दस्तावेजात मे मूलनिवास प्रमाण पत्र मे पहचान पत्र में आधार कार्ड मे नाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री रतीराम व मनोज कुमार पुत्र श्री रतीराम अंकित है, लेकिन विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड मे कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज है। जिसकी जगह कृष्ण कुमार उर्फ मोता व मनोज कुमार उर्फ मोनू किया जाना आवश्यक है, जिस हेतू दावा पेश करना लाजिम आया है।

10. यह है कि मिन वादीगण को गांव मे घर परिवार मे कृष्ण कुमार को मोता व मनोज कुमार को मोनू के नाम से भी बुलाते है, जिस कारण सहवन से कृष्ण कुमार की जगह मोता व मनोज कुमार की जगह मोनू दर्ज हो गया जबकि असल रिकोर्ड का नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है।


सहायक कलक्टर (फाउंडे)
मुम्बई (स्वैरथल-तिजारा)


11. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीगण का नाम मोता व मोनू दर्ज रहने से मिन वादीगण के अधिकारो पर कुठाराघात होता है, जिससे मिन वादीगण को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, इसलिये मिन वादीगण हाल विवादित आराजी में नाम दुरुस्त कराने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्जे नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा उक्त विवादित आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकार्ड मोता मोनू पि० रतिराम जाति जाट सा० काली पहाडी के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्य आधार कार्ड दशवीं की मार्क शीट राशन कार्ड पेश किये गये। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्ण मुमार मनोज कुमार पुत्रान रतिराम जाति जाट दर्ज है। उपस्थित ग्रम वासियान ने बताया कि मोता का नमा कृष्ण कुमार है और गांव में मोता भी कहते हैं। तथा मोनु का नाम मनोज कुमार है तथा ग्रम में मोनू भी कहते हैं।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी कृष्ण कुमार को मोता व मनोज कुमार को मोनू भी कहते है, और रिकॉर्ड में वादीगण का नाम कृष्ण कुमार व मनोज कुमार है, राशन कार्ड में पढाई के दस्तावेजात में मूलनिवास प्रमाण पत्र में पहचान पत्र में आधार कार्ड में नाम कृष्ण कुमार पुत्र श्री रतीराम व मनोज कुमार पुत्र श्री रतीराम अंकित है, लेकिन विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज है। जिसकी जगह कृष्ण कुमार उर्फ मोता व मनोज कुमार उर्फ मोनू किया जाना आवश्यक है। हमने वादीगण के वकील की बहस के मध्यनजर पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य सही पाया गया। जिस पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत पाया जाता है।


// आदेश //

पत्रावली आज वास्ते निर्णय आदेश प्रस्तुत हुई। वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी ख० नं० 321/0.26 हैक्०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.26 हैक्०, व ख० नं० 316/0.26, 317/0.23 हैक्०, 318/0.20 हैक्०, 319/0.95 हैक्०, 320/0.14 हैक्०, 322/0.25 हैक्०, 323/0.11 हैक्०, 324/0.11 हैक्०, 325/0.10 हैक्०, 326/0.25 हैक्०, 327/0.15 हैक्०, 329/0.15 हैक्०, कुल किता 12 कुल रकबा 2.90 हैक्०, व ख० नं० 526/0.09 हैक्०, 527/0.06 हैक्०, 528/0.38 हैक्०, 529/0.12 हैक्०, 636/873/0.19 हैक्०, कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 हैक्०, व ख० नं० 331/0.77 हैक्०, 332/0.20 हैक्०,


सहायक कलक्टर (फा०दे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 हैक०, व ख० नं० 558/0.25 हैक०, 559/0.09 हैक०, 563/871/0.07 हैक०, 585/0.29 हैक०, 586/0.23 हैक०, कुल किता 5 कुल रकबा 0.93 हैक०, व ख० नं० 403/0.14 हैक०, 404/0.21 हैक०, 405/0.23 हैक०, 406/0.19 हैक०, 407/0.27 हैक०, 408/0.06 हैक०, 409/0.08 हैक०, 410/0.16 हैक०, 411/0.08 हैक०, 412/0.06 हैक०, 413/0.05 हैक०, 415/0.06 हैक०, 416/0.06 हैक०, 417/0.12 हैक०, 418/0.09 हैक०, 419/0.04 हैक०, 420/0.05 हैक०, 530/0.14 हैक०, कुल किता 18 कुल रकबा 2.09 हैक०, व ख० नं० 637/874/0.08 हैक०, 837/875/0.09 हैक०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक०, व ख० नं० 774/0.32 हैक०, 775/0.06 हैक०, 776/0.10 हैक०, कुल किता 3 कुल रकबा 0.48 हैक०, व ख० नं० 23/1.21 हैक०, 57/0.80 हैक०, 120/0.97 हैक०, 294/0.32 हैक०, 640/0.03 हैक०, 725/0.29 हैक०, 726/0.30 हैक०, 727/0.29 हैक०, 816/0.44 हैक०, 819/0.60 हैक०, कुल किता 10 कुल रकबा 5.25 हैक०, व ख० नं० 637/0.67 हैक० कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 हैक०, व ख० नं० 635/0.25 हैक०, 635/872/0.58 हैक०, 636/0.08 हैक०, 638/0.37 हैक०, 639/0.40 हैक०, कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 हैक०, वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज है उसे हजफ किया जाकर कृष्ण कुमार उर्फ मोता व मनोज कुमार उर्फ मोनू दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल जिला लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 सहायक कलक्टर (फा०ट०)
 मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
 (सुरेश कुमार बलाइ)
 (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल - तिजारा

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल- तिजारा राज०

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई
(आर०ए०एस०)

वाद संख्या
671 / 2020

रजू दिनांक
29.10.2020

निर्णय दिनांक
07.02.2025

1. कृष्ण कुमार
2. मनोज कुमार पुत्रान श्री रतीराम जातियान जाट निवासी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

- वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जयें (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

- प्रतिवादी

दावा ईशतकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज

// पर्चा डिकी //

25.09.2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय आदेश प्रस्तुत हुई। वादी का वाद डिकी किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी ख० नं० 321/0.26 हैक्०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.26 हैक्०, व ख० नं० 316/0.26, 317/0.23 हैक्०, 318/0.20 हैक्०, 319/0.95 हैक्०, 320/0.14 हैक्०, 322/0.25 हैक्०, 323/0.11 हैक्०, 324/0.11 हैक्०, 325/0.10 हैक्०, 326/0.25 हैक्०, 327/0.15 हैक्०, 329/0.15 हैक्०, कुल किता 12 कुल रकबा 2.90 हैक्०, व ख० नं० 526/0.09 हैक्०, 527/0.06 हैक्०, 528/0.38 हैक्०, 529/0.12 हैक्०, 636/873/0.19 हैक्०, कुल


सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

किता 5 कुल रकबा 0.84 हैक०, व ख० नं० 331/0.77 हैक०, 332/0.20 हैक०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 हैक०, व ख० नं० 558/0.25 हैक०, 559/0.09 हैक०, 563/871/0.07 हैक०, 585/0.29 हैक०, 586/0.23 हैक०, कुल किता 5 कुल रकबा 0.93 हैक०, व ख० नं० 403/0.14 हैक०, 404/0.21 हैक०, 405/0.23 हैक०, 406/0.19 हैक०, 407/0.27 हैक०, 408/0.06 हैक०, 409/0.08 हैक०, 410/0.16 हैक०, 411/0.08 हैक०, 412/0.06 हैक०, 413/0.05 हैक०, 415/0.06 हैक०, 416/0.06 हैक०, 417/0.12 हैक०, 418/0.09 हैक०, 419/0.04 हैक०, 420/0.05 हैक०, 530/0.14 हैक०, कुल किता 18 कुल रकबा 2.09 हैक०, व ख० नं० 637/874/0.08 हैक०, 837/875/0.09 हैक०, कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 हैक०, व ख० नं० 774/0.32 हैक०, 775/0.06 हैक०, 776/0.10 हैक०, कुल किता 3 कुल रकबा 0.48 हैक०, व ख० नं० 23/1.21 हैक०, 57/0.80 हैक०, 120/0.97 हैक०, 294/0.32 हैक०, 640/0.03 हैक०, 725/0.29 हैक०, 726/0.30 हैक०, 727/0.29 हैक०, 816/0.44 हैक०, 819/0.60 हैक०, कुल किता 10 कुल रकबा 5.25 हैक०, व ख० नं० 637/0.67 हैक० कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 हैक०, व ख० नं० 635/0.25 हैक०, 635/872/0.58 हैक०, 636/0.08 हैक०, 638/0.37 हैक०, 639/0.40 हैक०, कुल किता 5 कुल रकबा 1.68 हैक०, वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में कृष्ण कुमार का नाम मोता व मनोज कुमार का नाम मोनू दर्ज है उसे हजफ किया जाकर कृष्ण कुमार उर्फ मोता व मनोज कुमार उर्फ मोनू दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आज दिनांक 25.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।



(सुरेश कुमार बलाई)
(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल - तिजारा

सहायक कलेक्टर (फांट्रे)
खैरथल-तिजारा